मनोरंजन कर विभाग उत्तर प्रदेश

4-The norms set by it for the discharge of its function

विभागीय अधिकारी/निरीक्षकों के कार्यों के निस्तारण हेतु संस्थित मानक

सिनेमागृहों/केबिल टेलीविजन केन्द्रों/अन्य आमोदों में लागू प्रावधानों का सम्यक अनुपालन एवं देय मनोरंजन कर आदि की नियमित व समुचित अदायगी सुनिश्चित करने हेतु इनका नैत्यिक/आकस्मिक निरीक्षण जनपद में तैनात विभागीय अधिकारी(उप मनोरंजन कर आयुक्त/सहायक मनोरंजन कर आयुक्त/जिला मनोरंजन कर अधिकारी) तथा मनोरंजन कर निरीक्षकों द्वारा किया जाता है। इनके द्वारा किए गए निरीक्षणों के सम्बन्ध में मनोरंजन कर आयुक्त, उ0प्र0 के परिपत्र संख्या–1901/प्र.क.–1/05–06, दिनांक 09.08.2005 के द्वारा निम्नवत् मानक निर्धारित किए गए हैं:–

(क) सिनेमागृहों/केबिल टेलीविजन केन्द्रों हेतु मानक–

1. दस से अनधिक सिनेमागृह संचालित होने वाले जनपदों में तैनात जनपदीय विभागीय अधिकारी द्वारा प्रत्येक सिनेमागृह का पाक्षिक कम से कम एक बार तथा दस से अधिक संचालित सिनेमागृहों वाले जनपदों में कार्यरत अधिकारियों द्वारा प्रत्येक सिनेमागृह का मासिक रूप से कम से कम एक बार निरीक्षण किया जाना अनिवार्य होगा।

   उपरोक्त निरीक्षण अधिकारी 50 केबिल टेलीविजन केन्द्र या उससे कम जनपद में कार्यरत समस्त केबिल केन्द्रों का प्रत्येक माह कम से कम एक बार निरीक्षण करेंगे। प्रत्येक दशा में जनपद में कार्यरत समस्त केबिल टेलीविजन केन्द्रों का कम से कम एक बार प्रत्येक त्रैमास में इन अधिकारियों द्वारा अनिवार्य रूप से निरीक्षण किया जायेगा। इन पर्यवेक्षीय निरीक्षण अधिकारियों का यह सुनिश्चित करने का भी दायित्व होगा कि उनके अधीनस्थ निरीक्षकगण क्षेत्रांर्गत पड़नेवाले आमोदों का नियमित निरीक्षण करते रहें।

2. मनोरंजन कर निरीक्षकों द्वारा अपने मुख्यालय पर संचालित सिनेमागृहों में प्रतिदिन कम से कम चार निरीक्षण करने के साथ–साथ मुख्यालय से बाहर स्थित सिनेमागृहों (यदि आवंटित हों तो) का निरीक्षण सप्ताह में कम से कम एक बार अव य किया जायेगा।

   प्रत्येक मनोरंजन कर निरीक्षक अपने क्षेत्रान्तर्गत संचालित केबिल टी0वी0 केन्द्रों का पाक्षिक रूप से कम से कम एक बार निरीक्षण अनिवार्य रूप से करेंगे। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा समय–समय पर आकस्मिक निरीक्षण कर यह भी सुनिि चत किया जायेगा कि इनके क्षेत्रान्तर्गत कोई अवैध आमोद (यथा वीडियो गेम, वीडियो सी0डी0 लाईब्रेरी, केबिल टी0वी0 केन्द्र, वीडियो सिनेमा, अस्थाई/स्थाई सिनेमा एवं मनोरंजन कर देय अन्य कार्यक्रम) का संचालन न होने पाये।